



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-338/2026/290/22-2-2025-17(541)/2024
लखनऊ : दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.7.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2025) के अवसर पर जिला कारागार, गाजियाबाद में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी कालू (बन्दी संख्या-7475/2012) पुत्र श्री ओमपाल, निवासी- गली नं0 4 विजयनगर, थाना-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-246/2009, व 247/2009, में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25/4 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 30.07.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह, 26 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सुधारात्मक/सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-338/2026/290(1)/22-2-2025 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
- 3- पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।